न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 06/22 निर्णय दिनांकः– 10-01-2024

1. पदमाकंवर पत्नी जोरसिंह जाति राजपूत निवासी चारणवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–06–2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 18–06–2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 3 पीएसएम I के मुरब्बा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 187/47 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक भूमि आती है व सबूत अपूर्ण है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 22–12–21 को पेश की है। जो करीब 12 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही 4 बीघा भूमि अधिक होने के कारण वरियता से बाहर है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 22–12–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखें। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 15–09–2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक होने व सबूत अपूर्ण होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 3 पीआरएम I के मुरब्बा नम्बर 184/47 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आगामी दो वर्षो तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् अपीलांट के आवेदन पत्र पर तहसीलदार या उपखण्ड कार्यालय स्तर पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी प्राप्त किये बिना अचानक दिनांक 18–06–2010 को प्रार्थी के धारण में 4 बीघा कमाण्ड से अधिक भूमि बताकर आवेदन खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा, मनमाना व अविवेकपूर्ण आदेश है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त भूमि के बाबत् जमाबन्दी संवत् 2075–2078 पेश करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा आवेदित भूमि अन्य व्यक्ति नरपत सिंह पुत्र शम्भूसिंह को आवंटित होने के कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative unallotted land out of those lands which were previously notified and applications were inviting for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुर्क्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभिलिखित किया गया है कि **नियम 13 –ए (5) (4) – प्रोविजनों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति नियम 7 (1) के प्राथमिकताओं में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो भी उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी, यदि ऐसी अनांवटित भूमि के आवंटन के लिये अन्य आवेदकों के कोई आवेदन लम्बित नहीं हो।** प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर समान श्रेणी की भूमि के आवंटन के संबंध में पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 10/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर